



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

सबका बीमा सबकी रक्षा
(बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ

- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देता है, जो एक बड़ा उदारीकरण सुधार है।

परिचय

- इस विधेयक का उद्देश्य बीमा की पहुँच को बेहतर करना, वैश्विक पूँजी को आकर्षित करना और भारत के जोखिम प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है, जबकि IRDAI के माध्यम से नियामक निरीक्षण बनाए रखना है।
- यह बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करना चाहता है।
- इसे भारत के कम पैठ वाले बीमा क्षेत्र के लिए “गेम-चेंजर” के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में 4% से कम जनसंख्या को पर्याप्त रूप से कवर करता है।
- इसका लक्ष्य “2047 तक सभी के लिए बीमा” के विजन को प्राप्त करने के लिए नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना है।

संभावित लाभ

- पूँजी का निवेश और बाजार विस्तार:** बीमा एक पूँजी-गहन क्षेत्र है; वर्तमान 74% से 100% तक एफडीआई बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक विदेशी पूँजी के प्रवाह को सक्षम बनाता है।
 - यह स्वास्थ्य, फसल, आपदा और जलवायु-जोखिम बीमा जैसे कम बीमा वाले क्षेत्रों में विस्तार का समर्थन करता है।
- बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और दक्षता:** वैश्विक बीमाकर्ताओं के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, संभावित रूप से प्रीमियम कम होते हैं और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।
 - अंडरराइटिंग, एक्चुअरियल साइंस और दावा निपटान में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाता है।
- वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा:** विदेशी बीमाकर्ताओं को सामाजिक क्षेत्र और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेने के लिए अनिवार्य किया गया है।
 - यह ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में कवरेज को बढ़ा सकता है, जिससे भारत का संरक्षण अंतराल कम हो सकता है।
- रोजगार और सहायक विकास:** एक्चुअरियल सेवाओं, इंश्योरेटेक, डेटा एनालिटिक्स और ग्राहक सेवाओं में रोजगारों को बढ़ावा देता है।
 - वित्तीय सेवाओं और जोखिम प्रबंधन के लिए एक केंद्र के रूप में भारत की भूमिका को बेहतर करता है।
- समष्टि-आर्थिक स्थिरता:** एक गहरा बीमा बाजार जोखिम पूल में सुधार करता है, घेरलू बचत का समर्थन करता है, और आर्थिक एवं जलवायु-संबंधी व्यवधानों के दौरान एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है।

मुख्य चुनौतियाँ और चिंताएँ

- डेटा गोपनीयता और डिजिटल जोखिम:** बीमा कंपनियाँ आधार और पैन से जुड़े संवेदनशील व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य डेटा एकत्र करती हैं।
 - भारत ने 2023 में 1.6 मिलियन से अधिक साइबर घटनाओं की सूचना दी (CERT-In), जिससे डेटा सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

- पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व वाले बीमाकर्ता सीमा पार डेटा पहुँच के जोखिम को बढ़ाते हैं, जिसके लिए सख्त स्थानीयकरण और ऑडिट की आवश्यकता होती है।
- **लाभ प्रत्यावर्तन और पूँजी पलायन:** आलोचकों का तर्क है कि भारत के बीमा बाजार—जो 2030 तक \$600–650 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है—में पर्याप्त लाभ का बहिर्वाह देखा जा सकता है।
 - सुदृढ़ पुनर्निवेश मानदंडों के बिना, एफडीआई घरेलू पूँजी निर्माण को कमज़ोर कर सकता है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं पर दबाव:** सार्वजनिक बीमाकर्ता, विशेष रूप से एलआईसी, जीवन बीमा प्रीमियम का 60% से अधिक हिस्सा लेते हैं और सामाजिक उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - उन्नत एनालिटिक्स और पूँजी वाले वैश्विक बीमाकर्ताओं के साथ असमान प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के बाजार हिस्से को नष्ट कर सकती है, जब तक कि शासन सुधार नहीं किए जाते।
- **नियामक और बाजार एकाग्रता जोखिम:** वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि अत्यधिक विदेशी प्रभुत्व से अल्पाधिकार वाले बाजार बन सकते हैं।
 - जटिल सीमा पार वित्तीय संरचनाओं की निगरानी करने और गलत बिक्री को रोकने के लिए IRDAI की नियामक क्षमता को बढ़ाना होगा।
- **विगत निजीकरण अनुभवों से सीख :** विरोध पक्ष नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देता है, जहां उदारीकरण ने कनेक्टिविटी में सुधार किया लेकिन बाजार एकाग्रता और उपभोक्ता भेदता को भी जन्म दिया, सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए।

आगे की राह

- भारत के डिजिटल शासन ढांचे के अंतर्गत सख्त डेटा स्थानीयकरण और गोपनीयता अनुपालन लागू करें।
- IRDAI की पर्यवेक्षी क्षमता को सुदृढ़ करें और उपभोक्ता शिकायत निवारण में सुधार करें।
- स्वायत्तता, प्रौद्योगिकी अपनाने और पूँजी समर्थन के माध्यम से सार्वजनिक बीमाकर्ताओं में सुधार करें।
- लाभों के न्यूनतम घरेलू पुनर्निवेश और समय-समय पर संसदीय समीक्षा को अनिवार्य करें।

निष्कर्ष

- इस विधेयक में पूँजी को अनलॉक करके, कवरेज में सुधार करके और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाकर भारत के बीमा क्षेत्र को बदलने की क्षमता है। हालांकि, इसकी सफलता सुदृढ़ विनियमन, डेटा सुरक्षा सुरक्षा उपायों और संतुलित प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विदेशी निवेश भारत के दीर्घकालिक वित्तीय एवं सामाजिक उद्देश्यों को कमज़ोर करने के बजाय पूरक हो।

Source :TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025 के भारत के बीमा क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए संभावित लाभों एवं चुनौतियों का परीक्षण करें।

